

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	चान	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
									30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री लीडू राम अधीक्षण अभियन्ता प्र०सु०प्र० सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	-	-	-	38	36	36	00	00	00

14.01.2019
अधीक्षण अभियन्ता एवं
जनसूचना अधिकारी, सि०वि०

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलयी पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलयी पत्र	कुल विचाराधीन अपीलय पत्र	माह में निस्तारित अपीलिय पत्र	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री डी०के० मिश्रा मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	01	02	03	05	08	वर्तमान के पूर्व के अवशेष-03 योग- 07	04	00	01

14.01.2019
अधीक्षण अभियन्ता एवं
जनसूचना अधिकारी, सि०वि०

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अविरोधित शरित (दण्ड) का विवरण ।
जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर-प्रदेश लखनऊ

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड में विहित धनराशि रुपये	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गई धनराशिकी अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	वाद संख्या- एस. 8/684 / सी / दिनांक 28.06.10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्र-708/दि. 1-8-11, पत्रांक-1587/दिनांक 12-10-12 एवं पत्रांक- 1120/ /प्र.सु.प्र./दिनांक 7.8.13 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक-सी-15/एकेएसआरई/दिनांक 15.5.2013 एवं पत्रांक नि-1564/सोन/दिनांक 13.8.13 के माध्यम से उक्त अविरोधित अर्थदण्ड वाफ किया जाने हेतु मा. राज्य सूचना आयोग से प्रनरोध किया गया है । इस कार्यालय के पत्रांक-1318/प्र.सु.प्र./दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक-1564/प्र.सु.प्र./शा.रित/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 285/प्र.सु.प्र./दिनांक 5.3.2014, पत्रांक-1350/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक-237/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु पुनः पत्र लिखा गया है ।
2	तदैग	अभिषारी अभियन्ता डेनेज स्थल गौरखपुर	वाद संख्या एस. 11 2824 / सी / 09	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्रांक-943 /दि. 31.6.12 एवं पत्रांक- 1584 / दि. 12-10-12 पत्रांक 1136/प्र.सु.प्र./दिनांक 10.8.11 पत्रांक 1325/प्र.सु.प्र./दिनांक 14.07.2011 पत्रांक 1608/प्र.सु.प्र./दिनांक 29.6.12

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अधिरोपित शास्ति (दण्ड) का विवरण ।
जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर-प्रदेश लखनऊ

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनसूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड में विहित धनराशि रुपये	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गई धनराशिकी अधतन स्थिति	विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के धारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंचाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	वाद संख्या- एस 8 / 684 / सी / दिनांक 28.06.10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्र-709/दि0 1-6-11, पत्रांक-1587/दिनांक 12-10-12 एवं पत्रांक 1120/ /प्र0सु0प्र0/दिनांक 7.6.13 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक-सी-15/एकेएसआरई/दिनांक 15.5.2013 एवं पत्रांक नि-1564/सोन/दिनांक 13.8.13 के माध्यम से उक्त अधिरोपित अर्धदण्ड माफ किये जाने हेतु मा0 राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया गया है । इस कार्यालय के पत्रांक-1318/प्र.सु.प्र./दिनांक 01.07.2013एवं पत्रांक-1564/प्र.सु.प्र./शासित/दिनांक 07.08.2013 पत्रांक 285/प्र.सु.प्र./दिनांक 5.3.2014, पत्रांक-1350/प्र.सु.प्र./दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक-237/प्र.सु.प्र./दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वसूली/अधतन स्थिति हेतु पुनः पत्र लिखा गया है ।
2	तटबंध	अभिषारी अभियन्ता डेनेज खण्ड गोरखपुर	वाद संख्या एस 11 2824 / सी / 10	25000.00	-	-	-	इस कार्यालय के पत्रांक-443 /दि0 11.5.12एवं पत्रांक 1594 /दि012-10-12, पत्रांक 1118 /प्र.सु.प्र./दिनांक 11.05.13, पत्रांक 1305 /प्र.सु.प्र./दिनांक 08.07.2013, पत्रांक 1588 /प्र.सु.प्र./दिनांक 09.07

3	तद्वैव	अधिवारी अभियन्ता फत्तेहपुर खंड निचली गंगा नहर फत्तेहपुर	वाव संख्या- एस7-2705 दिनांक 10.06.11	25000.00	2013एव1253/प्रसुप्र/ दिनांक 13.9.13, पत्रांक 310/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1349/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक: 241/प्रसुप्र/दिनांक 12.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
4	तद्वैव	अधिवारी अभियन्ता फत्तेहपुर खंड निचली गंगा नहर फत्तेहपुर	वाव संख्या- एस7-853/ /सी/09 दिनांक 03.10.12	25000.00	इस कार्यालय के पत्रांक-593/प्रसुप्र/दि० 28.2. 12,पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक12.10. 12,पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13, पत्रांक: 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/प्रसुप्र/दिनांक 10. 8.13,पत्रांक 1319/प्रसुप्र/दिनांक 01.07. 2013पत्रांक:1565/प्रसुप्र/दिनांक 07.08. 2013,पत्रांक 1784/ प्रसुप्र/ दिनांक 18 सितम्बर 2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.3. 2014, पत्रांक-1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक: 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
5	तद्वैव	अधिवारी अभियन्ता सिचाई खण्ड-49 पद्मापीपूर सुल्तानपुर	वाव संख्या- एस7-719 /सी/10 दिनांक 19.04.12	25000.00	इस कार्यालय के पत्रांक-593/प्रसुप्र/दि० 28.2. 12,पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक12.10. 12,पत्रांक 352/दि० 15.2.13, पत्रांक440 /प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13एवं पत्रांक:709 /प्रसुप्र/ दिनांक3.4.13, पत्रांक 1137/प्रसुप्र/दिनांक 10.8.13, पत्रांक 1319/प्रसुप्र/दिनांक 01.07.2013, पत्रांक:1565/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014, पत्रांक-1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक: 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है । अधिवारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 87/प्रसुप्र/दिनांक 11.1.13 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जल दण्ड की माफी हेतु दिनांक 1.11.12 के माध्यम से श्री अयोग में अपील की गयी है एवइस कार्यालय के पत्रांक-820/प्रसुप्र/दिनांक 22.4. 13 पत्रांक: 1122/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1319/प्रसुप्र/दिनांक03.07.2013, पत्रांक:1570/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013,पत्रांक

6	तद्वैत	श्री वी०पी० सिंह अधिवारी अभियन्ता सिंघाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर	वाद संख्या- एस.4-687 /सी/11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4 13 द्वारा दण्ड स्थगित।	1785/प्रसुप्र/दिनांक 18 सितम्बर 2013. 306/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014. पत्रांक-1356/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक: 233/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है।
7	तद्वैत	श्री आर पी गौतम अधिवारी अभियन्ता सिंघाई खंड हाथरस	वाद संख्या- एस.10 -2017/सी/11 दिनांक 01.12.11	25000.00	दण्ड वसूल	अधिवारी अभियन्ता सिंघाई खण्ड द्वितीय कुशीनगर कोइस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसुप्र/दिनांक 30.8.12. 1511/प्रसुप्र/दिनांक 26.9.12,पत्रांक 819/प्रसुप्र/दिनांक 24.4.13, पत्रांक 1134/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक: 1333/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिरोपित दण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है। मुख्य अभियन्ता, (गण्डक) सिंघाई गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक:3316/मु०अ०ग०/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।
8	तद्वैत	श्री राजाराम अहिरवार अधिवारी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बौदा	वाद संख्या- एस.4-20/ सी/11 दिनांक 17.06.12	25000.00		अधीक्षण अभियन्ता सिंघाई कार्य मण्डल मथुरा द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं०-2547 /सिकांमं/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिरोपित धनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिवारी अभियन्ता के वेतन से कर ली गयी है एवं उक्त धनराशि को राजकोश में जमा कराकर रसीद की छायाप्रति वासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1123/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक:1337/प्रसुप्र/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1566/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से निर्देशित किया गया है। अधिवारी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बौदा को इस कार्यालय के पत्रांक:1121/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 एवं पत्रांक: 1336/प्रसुप्र/दिनांक 04.07 2013, पत्रांक: 1568/प्रसुप्र/दिनांक 07.08 2013, पत्रांक: 1353/प्रसुप्र/दिनांक 20.10 14, 309/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक 238/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु

9	तद्वैव	श्री आर० बी०सिंह अधिवारी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम, बलिया	वाद संख्या- एस.4-489/ सी/11 दिनांक	25000.00	दण्ड वसूल (रसीद अप्राप्त)	निर्देशित किया गया है। अधिवारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 30/सिंचिनाम/दिनांक 31.07.2013 के माध्यम से दण्ड माफी हेतु मा० राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की गयी है। अधिवारी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर को इस कार्यालय के पत्रांक-177/प्रसुप्र/दिनांक 22.01.13 एवं पत्रांक-441/प्रसुप्र/दिनांक 27.02.13, पत्रांक 1119/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13, पत्रांक-1330/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली की रसीद की प्रमाणित प्रति हेतु निर्देशित किया गया है। (दण्ड वसूल)
10	तद्वैव	अधिवारी अभियन्ता सिंचाई खंड प्रथम बलिया	वाद संख्या- एस.4-1429/ सी/11 दिनांक 13.6.12	25000.00		अधिवारी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया को इस कार्यालय के पत्रांक 23/प्रसुप्र/दिनांक 4.1.12 पत्रांक 1133/प्रसुप्र/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1329/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013, पत्रांक-1567/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, 307/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रांक-1355/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 234/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है।
11	तद्वैव	अधिवारी अभियन्ता फारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद।	वाद सं.एस-7/ 362/सी/10	25000.00	वाद पुनर्स्थापित	इस कार्यालय के पत्रांक-1571/प्रसुप्र/दि० 8.8.2013, पत्रांक 1782/प्रसुप्र/दिनांक 18.9.2013 एवं पत्रांक-1351/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 240/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है अधिवारी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ किये जाने हेतु मा० आयोग के समक्ष दिनांक 11.6.2013 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई 23.10.13 को होगी श्री अद्यतन स्थिति की सूचना अभी तक अप्राप्त है।
12	तद्वैव	अधिवारी अभियन्ता लोअर खण्ड आपरा संतर आगरा	वाद सं.एस-6/ 1493/सी/10	25000.00		इस कार्यालय के पत्रांक-1571/प्रसुप्र/दि० 8.8.2013, पत्रांक 1751/प्रसुप्र/दिनांक 13 सितम्बर 2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 6.1.2014 पत्रांक 1354/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एवं के माध्यम से दण्ड वसूल/अद्यतन स्थिति हेतु निर्देशित किया गया है। अधिवारी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 1229/दिनांक 24.1.15 के

					माध्यम से सूचित किया गया है कि मा0 शर सूचना आयोग द्वारा दिनांक 9.7.2015 को उन वाद की सुनवाई की जायेगी ।
क्रमा संख्या ॥	मा0 सं एन-3/ 1688/सी/11	25000.00			इस कार्यालय के पत्रांक:895/प्रसू/दि0 6. 2014 के माध्यम से दण्ड वसूल/अवधान सिधा हेतु पत्र लिखा गया है ।


 दिनांक 20/11/2019
 अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जन सूचना अधिकारी
